## नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्वं शासन विभाग

- 0

0

Sizinge Remon-1 2 MAR 2013

## आदेश

राजस्थान भू-राजस्य अधिनियम. 1956 की पूर्ववर्ती धारा 90-बी की उपधारा (6) के अनुसार धारा 90-बी (3) के अन्तान्त भूमि समर्पित करने वाले व्यक्ति को ही नगर निकाय द्वारा पट्टा दिये जाने के प्रावधान थे जबकि राजस्थान टाउनशिप गॅलिजी. 2010 के बिन्दु संख्या 12 के प्रावधानों में खातेदार/डवलपर्स के द्वारा नामिति (Nominee) को भी पट्टा दिये जाने का उल्लेख किया हुआ है।

कुछ नगर निकायों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा गया है कि धारा 90-बी के अन्तर्गत पारित आदेश के तहत नियमन की स्वीकृति किये जाने के उपरान्त क्या खातेदार जिसने भूमि समर्पित की है. के नामिति (Nominee) को सींध ही नगर निकाय द्वारा पट्टा दिया जा सकता है ? इस बिन्दु पर विधि विभाग की राय प्राप्त की गई है जो निम्न प्रका

'राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-द्यी, जो कि अब विलोगित हो गई है, के तहत खातेंदार द्वारा अपनी खातेंदारी भूमि कृषि भूमि से अन्यथा प्रयोग करते हुए स्थानीय निकाय को समर्गित की जाती है. और उपन सम्प्रित का पट्टा यदि समर्पणकर्ता के जीवनकाल में ही नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सीधा नामिति (Nominee) को आवंदित अधिनियम, 1956 की धारा 90-दी के प्रावधानों के अनुसार Nominee को सीधे ही स्थानीय निकायों द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जहां तक धारा 90-ए एवं इनके तहत बनाय गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूनि का गैर-कृषिक ग्रयोजन के उपयोग के लिए अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के इस विषय में प्रावधानों का प्रश्न है वे धारा 90-में के प्रावधानों से मिन्न है। धारा 90-ए की उप-धारा (ग) के उप-खण्ड (ख) के साथ पिटत उक्त नियमों के नियम 11(3) तथा 19(1) के अनुसार भूमि का आवंटन / नियमन किया जा कर पट्टा-विलेख ऐसे व्यक्ति. जिस् धारा 90-ए के तहत अनुज्ञा जारी की गर्शी है या उसके उत्तराधिकारी (Successor). समनुदेशिती (Assignees) अन्तरिती (Transferees) के पक्ष में किया जायेगा।

इस प्रकार धारा 90-बी(3) में पारित आदेशों के तहत नियमन/आवंटन के प्रकरणों में पट्टा केवल उस व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जा सकता है जिसनें खातेदारी अधिकार समर्पित किये हो जबकि धारा 90-ए तथा इसके अशिन बनाये गये नये नियमों के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा के तहत पट्टा-विलेख खातेदार (जिसे अनुज्ञा जारी की गयी है) को या उसके उत्तराधिकारी (Successor). समनुदेशिती (Assignees) या अन्तरिती (Transferces) के पक्ष में

अतः सभी संबंधित को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें।

राज्यपाल की आजा से,

(गुरदयाल सिहर्सांग्र) अतिरिक्त मुख्य सचिव क्रमाक एफ ३(१७४)नविवि 🗸 ३ 🗸 २०१३

जगपुर, दिशांक --

1 2 MAR 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-- '

विशिष्ठ सहायक, मालनीय मंत्री नगरीय विकास आवासन एवं स्वाठ शासन दिन, मा

निजी सचिव अतिरिक्त पुरुष स्विव नगरीय विकास आवासन एवं स्वा० शासन विभाग।

निजी सचिव प्रमुख शासन स्रोति विभाग।

आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

आराजन/सचिवः जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरणः जयपुर/जोधपुर।

संयुक्त शासन सचिव—(हि.नीय/तृतीय)/शासन उप सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग! 6.

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार समस्त मंबंधित को अवगत करावें।

मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर। 8.

समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास राजस्थान। 9

प्रभारी, सीएमआईआर, निदेशालय स्थानीय निकास विभाग! 10.

71. 'रक्षित पत्रावली।

m

0

(आर.कं.पीरीक) संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय